


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज खीमालाल पुत्र श्री दोलतराम जी गर्ग, ग्राम-दांतीवाड़ा, पोस्ट बाली, तह. बाली, जिला पाली (राज.) 306701 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 07/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/9 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.02.2022</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 01.11.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक/कोष/संस्था/2021-22/51 दिनांक 21.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपमहानिरीक्षक पंजियन एवं मुद्रांक पाली से सम्बन्धित है। तथा अपीलार्थी को इस बाबत उनके द्वारा जरिये पत्रांक/कोष/ संस्था/2021 -22/30 दिनांक 19.01.2022 के सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 5. निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	